

INTERNATIONAL SCIENTIFIC COMMITTEE ON 20th CENTURY HERITAGE (ICOMOS)

20वीं सदी वास्तुकला विरासत (सम्पति) मैड्रिड के संरक्षण के लिए अनुप्रयोग

अन्तर्राष्ट्रीय स्मारकों एवं स्थलों की समिति 20वीं सदी विरासत स्थानों की पहचान, संरक्षण एवं प्रस्तुति को बढ़ावा देने के लिए बीसवीं सदी विरासत (ICOMOS) अपनी अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति के माध्यम से कार्य करता है।

इकोमास (ICOMOS) एक अन्तर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संगठन है जो सांस्कृतिक विरासत और विश्व-विरासत सभा पर यूनेस्को (UNESCO) के सलाहकार के रूप में कार्य करता है।

मैड्रिड हस्तलेख 2011 में ICOMOS के सदस्यों द्वारा विकसित किया गया। इसे सर्वप्रथम जून, 2011 में मैड्रिड में आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन 20वीं सदी वास्तुकला विरासत के लिए प्रयास में प्रस्तुत किया गया। यह सम्मेलन ISC20C के उपाध्यक्ष फर्नांडो एस्पीनोसा डे लॉस मोनडर्स एवं अन्तर्राष्ट्रीय डी एक्सीलेन्सिया मोनक्रलो-क्लस्टर डे पेटरीयोनिया एवं ETSAM के सहयोग से किया गया। करीब 300 अन्तर्राष्ट्रीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की एवं प्रारम्भिक दस्तावेजों में संशोधन किया जिसे सर्वसम्मति से सम्मेलन के सभासदों ने जून 16,2011 को मैड्रिड के अधिकारियों के सामने रखा। मैड्रिड हस्तलेख आज कई भाषाओं में अनुवादित हो चुका है।

वर्तमान में मैड्रिड दस्तावेज केवल वास्तुकला विरासत को संदर्भित करता है और विशेष रूप से हस्तक्षेप, परिवर्तन एवं मार्गदर्शन (सलाह) को विशेष ध्यान दे रहा है लेकिन ISC20C बीसवीं सदी की विरासत स्थानों के सभी प्रकार के लिए दिशा निर्देशों को शामिल करने के लिए दस्तावेज का दायरा व्यापक बनाने पर विचार कर रहा है।

संरक्षण, दिशा-निर्देशों और सिद्धान्तों के विकास के लिए हमेशा की तरह ICOMOS सामान्य प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है। इस प्रकार इसका अंतिम दस्तावेज ICOMOS अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्त के बीच अपना स्थान बना सकता है।

अतः हम मैड्रिड दस्तावेज पर आपके सुझावों का स्वागत करते हैं यह अंग्रेजी, फ्रेंच या स्पेनिश भाषाओं में दिए जा सकते हैं जिससे कि दूसरे संस्करण की तैयारी में मदद मिले। आप अपने सुझाव सेक्रेटरी जनरल ऑफ ISC20C को isc20c@icomos-isc20c.org पर भेज सकते हैं।

शैरिडिन बरकी

अध्यक्ष ICOMOS-ISC20C

प्रथम संस्करण October, 2011

20वीं सदी वास्तुकला विरासत मैट्रिड के संरक्षण के लिए अनुप्रयोग प्रस्तावना

20वीं सदी विरासत (ISC20C) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समिति 2011-12 के दौरान बीसवीं सदी की विरासत स्थलों के संरक्षण के लिए दिशा-निर्देश विकसित कर रहा है। 20वीं सदी वास्तुकला, मैट्रिड दस्तावेज 2011 के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं :-

दस्तावेज के उद्देश्य :- 20वीं सदी की विरासत का संरक्षण हमारा दायित्व व कर्तव्य हैं। इसका संरक्षण उसी प्रकार होना चाहिए जैसे कि पिछले युगों की विरासत का संरक्षण हुआ है।

इस सदी की वास्तुकला विरासत उचित देखभाल के अभाव में खतरे में है। अतः इसके उचित संरक्षण के लिए तथा भावी पीढ़ी के लिए इसकी समझ व व्याख्या आवश्यक है।

मैट्रिड दस्तावेज 2011 वास्तुकला विरासत की इस महत्वपूर्ण सदी की अवधि के लिए सम्माननीय व उचित कार्य के प्रति वचनबद्ध है।

यह दस्तावेज उन सभी के लिए हैं जो विरासत संरक्षण की प्रक्रिया से जुड़े हैं।

विकसित ज्ञान, समझ एवं सार्थकता

अनुच्छेद 1 - सांस्कृतिक सार्थकता की पहचान एवं आकलन

1.1 स्वीकार विरासत पहचान एवं आकलन मापदण्डों का प्रयोग

20वीं सदी वास्तुकला विरासत की पहचान व आकलन की सार्थकता के लिए स्वीकार्य विरासत मापदण्डों को ध्यान में रखना चाहिए। इस विशेष सदी (उसके सभी घटकों) की वास्तुकला विरासत अपने समय, स्थान व प्रयोग का एक भौतिक रिकार्ड है। इसकी सांस्कृतिक सार्थकता इस बात पर निर्भर है कि इसके मूल गुणों जैसे भौतिक स्थान, डिजाइन (रंगों का संयोजन) निर्माण कार्य, तकनीकी उपकरण, कपड़े, सौन्दर्यात्मक गुण एवं अमूर्त गुण जैसे ऐतिहासिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, आध्यात्मिक एवं रचनात्मक प्रतिभा का संरक्षण व पहचान हो सके।

1.2 आन्तरिक सजा, फिटिंग, फर्नीचर एवं कला सम्बन्धी कार्यों की पहचान एवं आकलन।

1.3 सम्बन्धित भू-दृश्य की पहचान एवं आकलन।

1.4 20वीं सदी की वास्तुकला विरासत की सूची का सजग होकर निर्माण करना - सजग होकर विभिन्न सर्वेक्षणों एवं सूची बनाकर वास्तुकला विरासत को पहचानना।

1.5 सांस्कृतिक सार्थकता की स्थापना करने के लिए तुलनात्मक विश्लेषण करना।

अनुच्छेद 2 - उचित संरक्षण योजना पद्धति का प्रयोग।

2.1 वास्तुकला विरासत की सार्थकता को समझना। उसकी अंखडता बनाए रखना।

किसी भी प्रकार के बदलाव व परिवर्तन करने से पूर्व पूरी तरह से शोध एवं प्रमाणों को जानना आवश्यक है। 20वीं सदी की वास्तुकला विरासत की अंखडता को अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए।

2.2 सांस्कृतिक सार्थकता के आकलन के लिए प्रविधि का प्रयोग एवं उसे बनाए रखने व उसके सम्मान के लिए नीतियों का निर्धारण किसी भी कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व ही कर लेना चाहिए। संरक्षण योजना बनाने एवं नीतियों के निर्धारण, प्रबन्ध एवं उसकी व्याख्या के लिए उचित प्रविधि होनी चाहिए जो कि ऐतिहासिक शोध एवं विश्लेषण पर आधारित हो।

2.3 स्वीकार्य परिवर्तनों की सीमा निश्चित करना।

वास्तुकला विरासत के संरक्षण के लिए कार्य करते समय यह निश्चित किया जाना चाहिए कि वास्तुकला सिद्धान्त एवं इमारत तकनीक जो 20वीं सदी में प्रयोग हुई हैं को ध्यान में रखा जाए।

2.4 अंतः विषय विशेषज्ञता का प्रयोग।

संरक्षण की योजना बनाते समय अंतः विषय विशेषज्ञ की सहभागिता एवं मार्गदर्शन लिया जाना चाहिए। आधुनिक तकनीक संरक्षण से सम्बन्धित विशेषज्ञों का परामर्श, शोध एवं ज्ञान का आदान-प्रदान 20वीं सदी की वास्तुकला संरक्षण के लिए आवश्यक है।

2.5 वास्तुकला विरासत के स्थलों के रख-रखाव की योजना प्रदान करना।

लगातार एवं उचित देखभाल व रख-रखाव होने से एवं समय-समय पर स्थलों का निरीक्षण होने से स्वतः ही संरक्षण कार्य हो जाता है।

2.6 संरक्षण कार्य के लिए महत्वपूर्ण दलों की पहचान करना।

जिम्मेदार एवं जवाबदेह लोगों की पहचान 20वीं सदी की वास्तुकला संरक्षण के लिए आवश्यक है। यह कोई भी व्यक्ति, संस्था, समुदाय, स्थानीय सरकार आदि हो सकते हैं।

2.7 पुरालेख रिकार्ड एवं प्रलेखन।

20वीं सदी की वास्तुकला विरासत में परिवर्तन करते समय यह महत्वपूर्ण है कि उन परिवर्तनों का रिकार्ड आम जनता के लिए रखा जाए। इसे फोटोग्राफी, लेजर स्कैनिंग, 3डी-मॉडलिंग के रूप में सुरक्षित रखा जा सकता है।

अनुच्छेद 3 - 20वीं सदी की वास्तुकला विरासत के तकनीकी पहलुओं पर शोध।

3.1 20वीं सदी की निर्माण तकनीक एवं विशिष्ट इमारत सामग्री के लिए विशेष देखभाल प्रविधि का विकास एवं शोध कार्य।

20वीं सदी की निर्माण तकनीक व सामग्री अतीत की पारम्परिक सामग्री व तकनीक से भिन्न हो सकती है। इसलिए आवश्यकता है कि उचित देखभाल प्रविधि का विकास किया जाए।

3.2 मानक इमारत कोड के प्रयोग को लचीला बनाए रखना एवं उचित विरासत संरक्षण के समाधान को सुनिश्चित करना।

सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए मानकीकृत बिल्डिंग (इमारत) कोड जैसे स्वास्थ्य व सुरक्षा कोड, आग से सुरक्षा, भूकंप इत्यादि के प्रति लचीला रूख अपनाना चाहिए। सम्बन्धित अधिकारियों के साथ गहन विश्लेषण और बातचीत किसी भी विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिकूल प्रभाव से बचने व कम से कम करने का लक्ष्य होना चाहिए।

अनुच्छेद 4 - बदलाव के दबाव को समझना एवं उसका प्रबंधन।

पर्यावरणीय बदलावों से या मानवीय हस्तक्षेप से होने वाले बदलाव, संरक्षण प्रक्रिया के आवश्यक तत्व हैं।

अनुच्छेद 5 - संवेदनशीलता बदलाव प्रबंधन।

5.1 परिवर्तन के लिए एक सतर्क दृष्टिकोण को अपनाना।

कोई भी हस्तक्षेप सतर्क होकर करना चाहिए। यदि बचाव करने से ऐतिहासिक सामग्री या सांस्कृतिक सार्थकता को नुकसान हो रहा हो सतर्क होकर विश्लेषण कर ही बदलाव प्रबंधन करना चाहिए।

5.2 कार्य प्रारम्भ करने से पहले प्रस्तावित बदलाव से विरासत में क्या असर पड़ेगा इसका आकलन करना एवं विपरीत प्रभाव को कम करने का उद्देश्य बनाना।

अनुच्छेद 6 - विरासत की संभाल के लिए अतिरिक्त निर्माण या हस्तक्षेप करते समय उस विरासत का ध्यान रखकर करना चाहिए।

- 6.1 विरासत स्थल पर यदि कोई अतिरिक्त कार्य करना हो तो उसकी सांस्कृतिक महत्ता का ध्यान रखकर करना चाहिए।
- 6.2 नए हस्तक्षेप से पहले वर्तमान पैमाने, प्रपत्र, सामग्री, रंग, सील का विस्तृत ब्यौरा तैयार करना चाहिए।

अनुच्छेद 7 - विरासत स्थल की प्रमाणिकता एवं अंखडता का सम्मान करें।

- 7.1 हस्तक्षेप से सांस्कृतिक महत्व को बनाए रखना व बढ़ाना।
- 7.2 परिवर्तन से पैदा होने वाले सार्थक बदलाव का सम्मान करना पर्यावरणीय स्थिरता।

अनुच्छेद 8 - पर्यावरणीय स्थिरता को महत्व देना।

- 8.1 सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं पर्यावरणीय स्थिरता के मध्य उचित संतुलन का विशेष ध्यान देना चाहिए।

व्याख्या एवं संवाद

अनुच्छेद 9 - 20वीं सदी की वास्तुकला विरासत को व्यापक समुदाय के साथ बढ़ावा देना।

- 9.1 प्रस्तुति व व्याख्या संरक्षण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण तत्व हैं।
- 9.2 सांस्कृतिक महत्व को बृहद रूप से मौखिक रूप से प्रचारित करना।
- 9.3 20वीं सदी विरासत संरक्षण के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों (प्रोग्राम) को प्रोत्साहित एवं समर्थन देना।

20वीं सदी विरासत के संरक्षण के सिद्धान्तों को शैक्षिक व व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शामिल करना।